



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी, जोनल कैंपस, भुवनेश्वर
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
प्लॉट नंबर -35, सत्यनगर, भुवनेश्वर-751007

National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics,
Zonal Campus, Bhubaneswar
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
Plot Number-35, Satyanagar, Bhubaneswar – 751007

दूरभाष क्र. /Tel. No.: 0674-2570713

ई-मेल/ E-mail: nacinbbsr.od@gov.in

Date: as e-signed

परीक्षा के लिए अनुदेश

वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप निरीक्षक की पुष्टिकरण परीक्षा

- केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो/मुख्यालय के संबंधित इकाई कार्यालय, जहाँ परीक्षा आयोजित होनी है, एक अधिकारी को नामित करेंगे, जो उक्त परीक्षा के संचालन हेतु समग्र प्रभारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत होगा और वह परीक्षा को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संचालित करने तथा उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राधिकृत अधिकारी को परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए पर्यवेक्षक/निरीक्षक को भी नामित करना होगा और प्रश्नपत्रों की आवश्यक संख्या की प्रतिलिपि उनकी व्यक्तिगत देखरेख में गुप्त रूप से की जाएगी। प्रश्नपत्रों के नामांकन एवं प्राप्ति हेतु प्रपत्र अनुलग्नक-ए में संलग्न है।
- परीक्षा कार्य के लिए पर्यवेक्षक/निरीक्षक को अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक आवंटित करना, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था करना, आवश्यकतानुसार उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्नपत्रों जैसी मानक लेखन सामग्री की व्यवस्था करना आवश्यक है। यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा केंद्र में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है या प्रयोग करने दिया गया है, तो परीक्षा केंद्र के नामित प्राधिकृत अधिकारी (अनुलग्नक-ए के अनुसार) से ऐसी शिकायत की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और NACIN पलासमुद्रम के परामर्श से, पूरी परीक्षा या किसी अभ्यर्थी या केंद्र की परीक्षा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से मुद्रित रूप में अथवा संलग्न अनुलग्नक-बी के अनुसार रबर स्टाम्प लगाकर अंकित किया जाएगा:-
 - परीक्षा का नाम
 - रोल नंबर
 - केंद्र का नाम
 - परीक्षा की तिथि और समय
 - पेपर का नाम और विषय
 - उपयोग की गई खुली उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या (पर्यवेक्षक/निरीक्षक डीली उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करेंगे और पृष्ठ संख्या प्रदान करेंगे)।
 - पर्यवेक्षक/निरीक्षक के हस्ताक्षर (यह सत्यापित होने पर कि अभ्यर्थियों द्वारा सभी विवरण सही ढंग से भरे गए हैं)

8. प्राप्त अंक/अधिकतम अंक

9) परीक्षक के हस्ताक्षर

4. यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाओं में अपना नाम लिखता है या कोई चिन्ह/प्रतीक/हस्ताक्षर आदि का प्रयोग करता है, जिससे किसी भी प्रकार से उसकी पहचान का पता चलता हो, तो उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।
5. अभ्यर्थियों को मुद्रित रूप में या उत्तर पुस्तिका के सामने वाले भाग पर खर स्टाम्प लगाकर यह भी सूचित किया जाएगा कि उनके नाम/पहचान को प्रकट करने का कोई भी प्रयास और किसी भी स्रोत से नकल करने या परीक्षा के दौरान अंदर या बाहर किसी से बात करने जैसे अनुचित साधनों का प्रयोग या अभ्यर्थियों का कोई भी ऐसा व्यवहार जिसे निरीक्षक/पर्यवेक्षक/एनएसीआईएन द्वारा धोखाधड़ी माना जाए, उनकी परीक्षा को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
6. पर्यवेक्षक/निरीक्षक अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए सभी विवरणों के सत्यापन के बाद उत्तर-पत्रक के पहले पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे (जैसा कि अनुलग्नक-बी में विस्तृत है)। पर्यवेक्षक/निरीक्षक प्रत्येक खुली शीट पर हस्ताक्षर करेंगे और अभ्यर्थी द्वारा उपयोग की गई प्रत्येक खुली शीट को पृष्ठ संख्या भी देंगे।
7. निरीक्षक और पर्यवेक्षक परीक्षा के संचालन में गोपनीयता, निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न हो, जिससे किसी को अतिरिक्त लाभ हो और इस प्रकार दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह हो। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार तैयार और संचालित की जाएगी कि सभी के साथ न्याय हो। यदि किसी अनुचित साधन के प्रयोग का पता NACIN को चलता है, तो वह पूरी परीक्षा या किसी एक अभ्यर्थी, किसी केंद्र या केंद्रों के समूह की परीक्षा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवश्यकता पड़ने पर वह पर्यवेक्षकों/निरीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी अनुशंसा कर सकता है।
8. उम्मीदवारों की पात्रता सीसीए द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और परीक्षा के संचालन के अलावा किसी भी अन्य स्पष्टीकरण पर NACIN द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया/संचालन के संबंध में कोई भी पत्राचार श्री सर्वेश्वर नायक, सहायक निदेशक (परीक्षा) (मोबाइल 9338047655), NACIN, क्षेत्रीय परिसर, सत्यनगर, भुवनेश्वर, ओडिशा-751007 या ईमेल आईडी: sarbeswarn.g4s9401@gov.in पर किया जा सकता है।
9. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा हॉल में या उसके आसपास मोबाइल फोन या ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करना या ले जाना सख्त वर्जित है।
10. अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में प्रश्नपत्र पूरा होने/जमा करने के बाद भी, पहले तीस मिनट में हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा के पहले तीस मिनट पूरे होने के बाद, उचित कारण होने पर, एक समय में केवल एक व्यक्ति को ही परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
11. पेपर-IV केवल हिंदी में होगा। पेपर-I, II, III और V द्विभाषी होंगे और उम्मीदवारों के पास अंग्रेजी या हिंदी में उत्तर लिखने का विकल्प होगा।
12. सभी अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ, ठीक से टैग/बैंच करके, परीक्षा के तुरंत बाद NACIN, भुवनेश्वर को भेज दी जाएँगी। इनका मूल्यांकन NACIN, भुवनेश्वर के अधिकारियों या इस प्रयोजन के लिए NACIN, भुवनेश्वर द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

13. उत्तर पुस्तिकाओं और उपस्थिति पत्रक को आवंटित रोल नंबर के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित किया जाना चाहिए और सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए।
14. NACIN उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना केवल मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों (सीसीए) को देगा। परिणाम [संबंधित भर्ती नियमों के अनुरूप; लागू अनुदेश, यदि कोई हो, (मंत्रालय/बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए, आदि), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छूट प्रदान करना, जो भी लागू हो], सीसीए या सीसीए द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य कार्यालय द्वारा इस कार्यालय को सूचित करते हुए घोषित किया जाएगा।
15. यह अपर महानिदेशक, NACIN, भुवनेश्वर के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस. पी. पांडा)

अपर निदेशक

NACIN, भुवनेश्वर

Copy to:

7. नारकोटिक आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर को सूचनार्थ, संप्रेषण, प्रासंगिक विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. कृपया अपर महानिदेशक (परीक्षा), NACIN, पलसमुद्रम को सूचनार्थ, संचलन, संबंधित विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. प्रबंधक वेबसाइट, सिस्टम महानिदेशालय, नई दिल्ली को सीबीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप निरीक्षक की पुष्टि परीक्षा

अनुबंध - A

(प्रश्न पत्रों के नामांकन एवं प्राप्ति हेतु प्रपत्र)

1. आयुक्तालय/निदेशालय का नाम : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
2. कैडर नियंत्रण क्षेत्र का नाम : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
3. परीक्षा केंद्र का नाम : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो,
ग्वालियर
4. गठन की आधिकारिक ईमेल आईडी (सीसीए) : supdt-estt@cbn.nic.in
(विभागीय परीक्षाओं अर्थात् अभ्यर्थियों के अंकों से संबंधित कोई भी पत्राचार इस ईमेल आईडी पर/से भेजा जाएगा)
5. नामित प्राधिकृत अधिकारी (एडीसी/जेसी/डीसी/एसी या समकक्ष रैंक के अधिकारी) का विवरण, जो परीक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा और जिसे पीडीएफ प्रारूप में प्रश्न पत्र ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे।
 - (i) नाम : मनोज कुमार
 - (ii) पदनाम : सहायक नारकोटिक्स आयुक्त
 - (iii) आधिकारिक पता : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, द मॉल, मुरार,
ग्वालियर, मध्य प्रदेश: 474006
 - (iv) सरकारी ईमेल आईडी : manojk.g039202@gov.in
 - (v) दूरभाष संख्या : 0751-2368996
 - (vi) व्हाट्सएप मोबाइल नंबर : 9827559251

वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उपनिरीक्षक की पुष्टि परीक्षा
अनुलग्नक-B
(प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के लिए प्रपत्र)

परीक्षा केंद्र का पूरा पता:		
1	परीक्षा का नाम	
2	अभ्यर्थी का रोल नंबर	
3	परीक्षा केंद्र का नाम	
4	परीक्षा की तिथि और समय	
5	पेपर का नाम और विषय	
6	उपयोग की गई ढीली उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या (पर्यवेक्षक/निरीक्षक प्रत्येक ढीली पुस्तिका पर हस्ताक्षर करेंगे और पृष्ठ संख्या भी अंकित करेंगे)	
7	पर्यवेक्षक/निरीक्षक के हस्ताक्षर (अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए सभी विवरणों के सत्यापन पर)	
8	प्राप्त अंक/अधिकतम अंक	
9	परीक्षक के हस्ताक्षर	

नोट: यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिकाओं में अपना नाम लिखते हैं या कोई चिन्ह/प्रतीक हस्ताक्षर आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे किसी भी तरह से अभ्यर्थी की पहचान का संकेत मिलता हो, तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।